संख्या 3/1/82-स्था0(पी-1)
भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार
और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्तूबर, 1985

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी-अनारक्षित रिक्तियों में सिविल पदों पर नियुक्त होने की अवस्था में वेतन का निर्धारण ।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29-11-84 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि अब यह निर्णय ले लिया गया है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए आदेशों को उन आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन निर्धारण के मामले में भी लागू किया जाए जिनकी विभिन्न सिविल पदों पर 1-11-84 से पूर्व नियुक्ति हो गई थी । नियुक्तियों की तारीख से उनका वेतन काल्पनिक आधार पर निर्धारित कर दिया जाए तथा उन्हें बकाया केवल पहली नवम्बर, 1984 से ही मंजूर किया जाए ।

2- जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं ।

(एस0 हरिहरन)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,
मानक सूची के अनुसार ।